अंचल अधिकारी का कार्यालय, बाघमारा (धनबाद)

:: आदेश–पत्रक ::

अभिलेख वाद सं0– 221/2017–18

दिनांक	आदेश एवं सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई टिप्पणी, दिनांक सहित
	झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक–2074/रा0, दिनांक 13.05.2016 सहपठित–श्री अनुप मुखर्जी, निदेशक, भू–अर्जन–सह–विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सं0–खा0म0निति–119/85/2308/रा0, दिनांक 03.09.1985 एवं सह–पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं0–914/रा0, दिनांक 09.12.1988 में निहित निदेश के अनुपालन में गैर मजरूआ खास भूमि की कायम की गई जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गई। जाँच के क्रम में हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि है। मौजा–फुलवारीटाड़, खाता सं0 85 प्लॉट सं0 386 रकवा 1 की भूमि जो गैर मजरूआ खास अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी II के पर जमाबंदी रैयत विरेन्द्र नाथ उपाध्याय के नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरांत उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। अंचल अधिकारी, बाघमारा।	